हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com

रेरा ने निर्माण की तिथि, नक्शा सहित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी

पटना के 573 पुराने अपार्टमेंट को नोटिस

सख्ती

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार रेरा ने पटना के 573 पुराने अपार्टमेंट और बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। इनसे निर्माण की तिथि, नक्शा, वास्तुविद का प्रमाणपत्र सहित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। उन 148 अपार्टमेंट के बिल्डरों को भी सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिनके नाम का पता रेरा को नहीं है।

पटना नगर निगम की ओर से कराए गए सर्वे के बाद इन अपार्टमेंट के नाम रेरा को मिले हैं। नोटिस के बाद पुराने अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों ने बिल्डरों की खोज और कागजात खंगालने शुरू कर दिए हैं। रेरा ने अब तक 573 अपार्टमेंट और बिल्डरों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के बाद अब तक कुल 158 जवाब मिल गए हैं। नोटिस के निस्तारण के लिए रेरा ने छह बिंदु निर्धारित किए हैं। इनमें से किसी भी बिंदु पर साक्ष्य प्रस्तुत करने पर नोटिस का निस्तारण कर दिया जा रहा है। ऐसे 101 मामलों को निस्तारित किया जा चुका है। रेरा के नियमों के मुताबिक जिन अपार्टमेंट का निर्माण कार्य 2016 के बाद पूरा हुआ है, उसका निबंधन अनिवार्य है। इसी उद्देश्य से नोटिस जारी किया गया है। पटना नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे में परियोजना यानी अपार्टमेंट के निर्माण की तिथि अंकित नहीं है। इसलिए सभी 573 अपार्टमेंट और उनके बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है।

2016 के बाद बने अपार्टमेंट का निबंधन अनिवार्य, नगर निगम ने किया था सर्वे

- अपार्टमेंट के फ्लैट मालिक कागजात के साथ ही बिल्डर को ढूंढ़ने में जुटे
- नोटिस के बाद अब तक कुल 158 जवाब मिल गए हैं

इन छह बिंदुओं पर देना है जवाब

- पूर्ण विक्रय विलेख। यह देखने के लिए 1 मई 2017 को अधिनियम लागू होने से पहले फ्लैट बिका हो।
- बिजली बिल, जिसमें अधिनियम के लागू होने से पहले अपार्टमेंट में रहने वालों की संख्या दर्शायी गई हो।
- वास्तुविद से पूर्णत: प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी से पावती सहित।
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अधिभोग प्रमाण पत्र।
- परियोजना का स्वीकृत मानचित्र। 31 दिसंबर 2012 या उससे पहले स्वीकृत किया गया हो।
- कोई अन्य दस्तावेज जो यह प्रमाणित करता हो कि परियोजना अधिनियम के लागू होने से पहले पूरी हो गई हो।

सर्वे में कई बिल्डरों के नाम और पता भी उपलब्ध नहीं

नगर निगम की ओर से कराए गए सर्वे में कई अपार्टमेंट ऐसे भी हैं, जिनके बिल्डर या प्रोमोटर के नाम एवं पता उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे सभी को आम सूचना के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। इन बिल्डरों से भी अपना जवाब और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है। रेरा का कहना है कि रिकार्ड में आ जाने के बाद बिल्डरों को भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।